CNR No. - CGJC02000159/ 2022
सक्सेशन वाद क्र.–03 / 2022
जितेश कुमार राठौर बनाम आम जनता व अन्य

न्यायालयः जितेन्द्र कुमार ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 जांजगीर

जिलाः जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

CNR No. - CGJC02000159/ 2022
सक्सेशन वाद क्र.–03 / 2022
संस्थित दिनांक–07.02.2022

---

01. जितेश कुमार राठौर उम्र–30 वर्ष पिता स्व. आनंद कुमार राठौर
02. पुष्पेंद्र कुमार राठौर उम्र–26 वर्ष पिता स्व. आनंद कुमार राठौर
दोनों जाति–राठौर, निवासी–ग्राम सिउड़, तहसील–नवागढ़
जिलाः जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
03. याचना सिंह राठौर उम्र–35 वर्ष पिता स्व. आनंद कुमार राठौर
पति रामनरेश सिंह राठौर, निवासी–वार्ड नंबर 11 दुर्गा चौक सुकली
तहसील–जांजगीर, जिलाः जांजगीर–चांपा (छ.ग.) .... **आवेदकगण**

// बनाम //

01. आम जनता (जिनका हित निहित हो)
02. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम
नैला–जांजगीर, कार्यालय–लिंक रोड जांजगीर
जिला–जांजगीर–चांपा(छ0ग0) .... **अनावेदकगण**

–: आदेश :–

(आज दिनांक–30/06/2022 को पारित.)

01. इस आदेश के द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

02. प्रकरण में कोई सारवान तथ्य अविवादित नहीं है।

03. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक आंनद कुमार राठौर पिता स्व. धीनराम राठौर की मृत्यु दिनांक 03/05/2021 को हो चुकी है एवं मृतक आनंद कुमार राठौर की पत्नी स्व. प्रेमकुमारी राठौर की दिनांक 14/12/2014 को ग्राम सिउड़ में हो चुकी है,

उनका स्थायी निवास ग्राम सिउड़, तहसील–नवागढ़, जिलाः जांजगीर–चांपा छ.ग. है जहां उसके विधिक वारिसगण वर्तमान में निवास करते है। आवेदक क्र.–01 जितेश कुमार राठौर, आवेदक क्र.–02 पुष्पेन्द्र कुमार राठौर एवं आवेदक क्र–03 याचना सिंह राठौर मृतक आनंद कुमार राठौर के पुत्र–पुत्री होकर विधिक वारिस है, इनके अलावा मृतक आनंद कुमार राठौर के अन्य कोई जीवित विधिक वारिस नहीं है।

04. आवेदन पत्र के अनुसार मृतक आनंद कुमार राठौर ने अपने जीवनकाल में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा नैला–जांजगीर से न्यू बीमा गोल्ड बीमा पॉलिसी संख्या 385582657 राशि 1,00,000 / –(एक लाख रूपये) बीमा कराया था, जिसमें नामिली दर्ज नहीं करा पाया था। मृतक आनंद कुमार राठौर के वारिस के तौर पर उक्त बीमा राशि की रकम प्राप्ति हेतु आवेदक क्र. 01 जितेश कुमार राठौर द्वारा भारतीय जीवन बीमा शाखा नैला–जांजगीर में दावा पेश किये जाने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमा की देश राशि का भुगतान संबंधी निराकरण किये जाने की लिखित सूचना दिनांक 03 / 12 / 2021 को दी गयी, ऐसी स्थिति में मृतक आनंद कुमार राठौर के विधिक वारिस होना लेख करते हुये इस न्यायालय के विचारण क्षेत्राधिकार में होने से अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

05. अनावेदक क्र. 2 शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम नैला–जांजगीर की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दस्तावेजी जानकारी के आधार पर आनंद कुमार राठौर की मृत्यु दिनांक 03 / 05 / 2021 तथा आनंद कुमार राठौर की पत्नी प्रेमकुमारी राठौर की मृत्यु दिनांक 14 / 12 / 2014 को हुई है। मृतक आनंद कुमार राठौर ने अपने जीवनकाल में जीवन बीमा पालिसी क्रमांक–385582657

बीमाधन एक लाख रूपये का कराया था, जिसमें अपनी पत्नी स्व. प्रेमकुमारी राठौर को नामिनी के रूप में दर्ज कराया था। न्यायालय द्वारा मृतक आनंद कुमार राठौर के विधिक उत्तराधिकारी होने बाबत प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की दशा में मृतक आनंद कुमार राठौर को जारी जीवन बीमा पालिसी की बीमा राशि 1,00,000 / –(एक लाख रूपये) प्रदाय किये जाने को तैयार एवं तत्पर हैं।

06. अनावेदक क्र. 1 आम जनता पूर्व से ही एकपक्षीय हैं। दैनिक समाचार पत्र आम जनता को संसूचित किया गया, किन्तु आम जनता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये हैं एवं उनकी ओर से उपस्थित होकर आवेदकगण के आवेदन पत्र की जवाबदावा एवं खण्डन नहीं किया गया है।

07. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किया गया है –

01– क्या आवेदकगण, स्व. आनंद कुमार राठौर के वैध वारिसान है ?

02– क्या आवेदकगण स्व. आनंद कुमार राठौर के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा नैला–जांजगीर में संचालित न्यू बीमा गोल्ड क्र. 385582657 की बीमित राशि कुल 1,00,000 / –(एक लाख रूपये) प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उत्तराधिकारी है ?

03– सहायता एवं व्यय।

<u>// साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष //</u>

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01</u>

08. आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक साक्षी स्वयं जितेश कुमार राठौर (आ.सा.–1) एवं साक्षीगण पुष्पेन्द्र कुमार राठौर (आ.सा.

—2), कु. याचना सिंह राठौर (आ.सा.—3), गंगाराम राठौर (आ.सा.—4) को प्रस्तुत कर परीक्षण कराया गया है।

09. आवेदक की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य— मृतक आनंद कुमार राठौर के मृत्यु प्रमाण पत्र (प्र.पी.—1), मृतक प्रेमकुमारी राठौर का मृत्य प्रमाण पत्र (प्र.पी—2), भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई मृत्यु दावा संबंधी पत्र (प्र.पी—3), आवेदक जितेश कुमार राठौर का आधार कार्ड (प्र.पी. —4), प्रस्तुत किया गया है।

10. आवेदक साक्षी स्वयं **जितेश कुमार राठौर (आ.सा.—1)** ने अपने शपथपत्रीय अभिसाक्ष्य में उसके पिता आनंद कुमार राठौर पिता स्व. धनीराम राठौर की मृत्यु दिनांक 03/05/2021 को हो चुकी है, मृतक आनंद राम की पत्नी स्व. प्रेमकुमारी राठौर की दिनांक 14/12/2014 को ग्राम सिउड़ तहसील—नवागढ़ में मृत्यु हो चुकी है। मृतक आनंद कुमार राठौर ने अपने जीवनकाल में शाखा नैला—जांजगीर से न्यू बीमा गोल्ड बीमा पालिसी संख्या 385582657 बीमा कराया, बीमा पॉलिसी लेते समय अपना नामिनी दर्ज नहीं करा पाया था। मृतक आनंद कुमार राठौर के आवेदकगण पुत्र—पुत्री हैं, जो मृतक आनंद कुमार राठौर के विधिक वारिसान हैं, उनके अतिरिक्त मृतक आनंद कुमार राठौर के अन्य कोई जीवित विधिक वारिस नहीं है, का कथन कर मृतक आनंद कुमार राठौर के नाम पर बीमा पॉलिसी में जमा राशि को प्राप्त करने बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने का निवेदन किया है, एवं उक्त साक्षी का कथन बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं करने से अखण्डित रहा है।

11. आवेदक साक्षीगण **पुष्पेन्द्र कुमार राठौर (आ.सा.—2), कु. याचना सिंह राठौर (आ.सा.—3), गंगाराम राठौर (आ.सा.—4)** की ओर से मुख्य परीक्षण अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत शपथपत्र प्रस्तुत कर आवेदक क्र. 1 के कथनों

का समर्थन कथन किये हैं एवं उक्त साक्षीगण का कथन बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं करने से अखण्डित रहा है।

12. आवेदकगण के कथन व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मामले के अवलोकन से आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र के कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य मृतक आनंद कुमार राठौर के मृत्यु प्रमाण पत्र (प्र.पी.—1), मृतक प्रेमकुमारी राठौर का मृत्य प्रमाण पत्र (प्र.पी—2), भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई मृत्यु दावा संबंधी पत्र (प्र.पी—3) प्रस्तुत किये हैं एवं अनावेदक क्र. 2 शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम नैला—जांजगीर की ओर से प्रस्तुत जवाब में आवेदकगण के आवेदन स्वीकार करते हुये आनंद कुमार राठौर के द्वारा अपने जीवनकाल में अनावेदक के कार्यालय में जीवन बीमा पॉलिसी क्रमांक 385582657 बीमाधन 1,00,000 / —(एक लाख रूपये) का कराया गया है। उक्त बीमा पॉलिसी लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी स्व. प्रेमकुमारी राठौर का नाम नामिनी के रूप में दर्ज कराया था, जिसकी मृत्यु दिनांक 14 / 12 / 2014 को हो गयी है। आवेदकगण ने आवेदन पत्र एवं अपने शपथपत्रीय कथन में आवेदकगण के अतिरिक्त मृतक आनंद कुमार राठौर के कोई जीवित विधिक वारिस नहीं होना कथन करने से एवं उक्त साक्षियों के कथन बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहने से आवेदक क्र.—01 जितेश कुमार राठौर, आवेदक क्र.—02 पुष्पेन्द्र कुमार राठौर एवं आवेदक क्र—03 याचना सिंह राठौर स्व. आनंद कुमार राठौर के वैध वारिसान / उत्तराधिकारी हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—02

13. यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया जा चुका है कि आवेदक क्र.—01 जितेश कुमार राठौर, आवेदक क्र.—02 पुष्पेन्द्र कुमार राठौर एवं आवेदक क्र—03 याचना

सिंह राठौर मृतक आनंद कुमार राठौर का वैध वारिस / उत्तराधिकारी हैं। अनावेदक क्र. 02 द्वारा मृतक आनंद कुमार राठौर के विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने पर मृतक आनंद कुमार राठौर की जीवनकाल में जारी जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमा राशि कुल 1,00,000 / –(एक लाख रूपये) को प्रदाय किये जाने तैयार एवं तत्पर होना, कथन करने से आवेदक क्र.–01 जितेश कुमार राठौर, आवेदक क्र.–02 पुष्पेन्द्र कुमार राठौर एवं आवेदक क्र–03 याचना सिंह राठौर मृतक आनंद कुमार राठौर के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा नैला, जांजगीर में संचालित जीवन बीमा पॉलिसी क्रमांक–385582657 बीमित राशि 1,00,000 / –(एक लाख रूपये) भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी की नियम एवं शर्तों के अधीन प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की उत्तराधिकारी है।

<u>/ / सहायता एवं व्यय / /</u>

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–03</u>

14. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 एव 2 के निष्कर्ष के आलोक में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र अभिसंभाव्य से परे साबित करने में सफल रहे हैं, अतः आवेदक क्र.–01 जितेश कुमार राठौर, आवेदक क्र.–02 पुष्पेन्द्र कुमार राठौर एवं आवेदक क्र.–03 याचना सिंह राठौर मृतक आनंद कुमार राठौर की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है –

1. आवेदक क्र.–01 जितेश कुमार राठौर, आवेदक क्र.–02 पुष्पेन्द्र कुमार राठौर एवं आवेदक क्र–03 याचना सिंह राठौर स्व. आनंद कुमार राठौर के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा नैला जांजगीर में संचालित न्यू बीमा

गोल्ड क.–385582657 की बीमित राशि कुल 1,00,000 / –(एक लाख रूपये) भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी की नियम एवं शर्तों के अधीन प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की उत्तराधिकारी है।

2. उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

3. अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार अथवा प्रमाणित होने पर देय हो।

4. आवेदकगण द्वारा विधिवत न्याय–शुल्क अदा करने एवं छायाचित्र दो प्रति पेश करने पर उनके पक्ष में उपरोक्त राशि ब्याज मय लाभांश प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

स्थान–जांजगीर

दिनांक–30 / 06 / 2022

सही / –

(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1

जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0)